इसके लिये कोई नया पद सृजित नहीं किया जायेगा । परन्तु एकल पद एवं ऐसे पद/पद समूह/सम्वर्ग जिसमें विशिष्ट रूप से पद सोपान नहीं बने हुये हैं और सीधे राज्य सेवा/सम्वर्ग में कुछ पृथक पद ही प्रोन्नति हेतु चिन्हांकित हैं, उनके सम्बन्ध में सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुसूची-1 में निर्दिष्ट वेतनमान के तुरन्त बाद वाले वेतनमान में ही वित्तीय उन्नयन दिया जायेगा ।

§x§ एसीपी0 योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा एवं इसका वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा । तदनुसार, सम्वर्ग में कनीय कर्मी को एसीपी0 योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा ।

§xi§ एसीपी0 योजनान्तर्गत उत्क्रमित होने पर सम्बन्धित कर्मी का वेतन भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम-22§1§ ए§1§ के प्रावधानों एवं इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन निर्धारित किया जायेगा । एसीपी0 योजना के तहत् प्रदत्त वित्तीय लाभ अन्तिम होगा अर्थात् उच्चतर वर्ग के क्रियाशील पद के विरूद्ध पदस्थापन के समय पुनः कोई वेतन निर्धारण लाभ देय नहीं होगा ।

§xii§ एसीपी0 योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान की स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी गयी मानी जायेगी कि भविष्य में नियमित प्रोन्नति के पद उपलब्ध होने की स्थिति में सम्बन्धित सरकारी सेवक को उसे स्वीकार करना होगा । नियमित प्रोन्नति के पद को अस्वीकार करने की स्थिति में वे सामान्य अनुदेशों में यथा प्रस्तावित, नियमित प्रोन्नति हेतु वंचित समझे जायेंगे । किन्तु जैसे ही एवं जब भी वे इसके पश्चात् नियमित प्रोन्नति स्वीकार करते हैं तो वे एसीपी0 योजनान्तर्गत द्वितीय उत्क्रमण हेतु उच्चतर श्रेणी में अपेक्षित अर्हक सेवा/अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ही योग्य होंगे । यह इस शर्त के अधीन होगा कि जिस अवधि हेतु वे नियमित प्रोन्नति से वंचित किये गये हैं, उस अवधि की गणना वित्तीय उत्क्रमण हेतु नहीं की जायेगी ।

§xiv§ अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई के मामले में एसीपी0 योजना के अन्तर्गत लाभों की स्वीकृति सामान्य प्रोन्नति के नियमों के अधीन प्रदान की जायेगी ।

§xv§ प्रस्तावित एसीपी0 योजना केवल वित्तीय लाभ हेतु उच्चतर वेतनमान/श्रेणी में मात्र व्यक्तिगत आधार पर स्थापित करने का विचार करता है और

.....5.